न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 16/2019

अनवान :

1. भागीरथ पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी गांव सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी चक 7 डीपीएन खचवाना तहसील भादरा।
2. रोहिताश पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी क 7 डीपीएन खचवाना तहसील भादरा।
3. प्रियंका पत्नी जयप्रकाश } जाति यादव निवासी बीड़भादरा
4. सुमन पत्नी ओमप्रकाश } तहसील भादरा जिल हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करने बाबत
अन्तर्गत धारा 251ए राज॰काश्त॰अधिनियम सपठित धारा 8(2) राज0कॉलोनाईजेशन जरनल कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : प्रार्थी
वकील श्री रोहताश शर्मा : अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 एमएसआर के खाता सं0 18/16 के मु0नं0 40 के किला नं0 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.771 है0 नहरी 1.748 है0 गै0मु0 खाला 0.025 है0 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपते हुए प्रार्थी के खेत के उतरी तरफ चक 6 एमएसआर के खाता सं0 110/101 के मु0नं0 28 के किला नं0 21 ता 24, किला नं0 25 प्रत्येक किला नं0 0.253 है0 कुल 1.265 है0 नहरी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मु0नं0 40 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.265 है0 अप्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मु0नं0 28 के किला नं0 16/2 की 0.246 है0 किला नं0 17/2 की 0.246 है0 किला नं0 18/2 की 0.246 है0 किला नं0 19/2 की 0.247 है0 किला नं0 20/2 की 0.247 है0 कुल 1.232 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 3 व 4 के नाम से दर्ज है।

प्रार्थी अपने खेत में मु0नं0 28 के किला नं0 1, 10, 11 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुएं मु0नं0 28 के किला नं0 20, 21 मु0नं0 40 के किला नं0 1 में से होते हुए अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है। मु0नं0 28 के किला नं0 1, 10, 11 में तो रास्ता स्वीकृत है परन्तु मु0नं0 28 के किला नं0 20, 21 व मु0नं0 40 के किला नं0 1 में रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण मु0नं0 28 के किला नं0 20, 21 व मु0नं0 40 के किला नं0 1 में रास्ता को बन्द करने पर तुले हुए है। अगर अप्रार्थीगण ऐसा करने में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी अपने खेत में आवागमन की सुविधा से वंचित हो जाऐगा।

प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के मु0नं0 28 के किला नं0 21 में एवं अप्रार्थी सं0 रोहिताश के मु0नं0 40 के किला नं0 1 एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4 के मु0नं0 28 के किला नं0 20 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाइन के पास–पास उतर से दक्षिण आवागमन करता आ रहा है। मौका पर रास्ता चालू है परन्तु

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जारिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 ने जबाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की कृषि भूमि मिन प्रतिवादी के रहन रखकर कृषि ऋण प्राप्त किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की कृषि भूमि पर मिन अप्रार्थी संख्या 6 का प्रथम भार दर्ज है। **प्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की कृषि भूमि रहन मुक्त होने से पूर्व किसी प्रकार से रास्ता स्वीकृत** करवापाने का कानूनी अधिकारी नहीं है।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी भागीरथ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में आंशिक नजरी नक्शा चक 6 एमएसआर प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक 6 एमएसआर खाता सं0 18/16 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने चक 6 एमएसआर के मु0नं0 28 के किला नं0 21, 20 एवं मु0नं0 40 के किला नं0 1 से अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है जिसकी बाबत पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है तथा प्रार्थी की खातेदारी में प्रवेश के लिए प्रार्थना के अनुतोष में वर्णित रास्ता की सुविधाजनक व कम दूरी का है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राजस्थान कॉलोनाईजेशन जरनल कण्डीशन एक्ट का मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा चक 6 एमएसआर के खाता सं0 110/102 में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 विनोद कुमार के मु0नं0 28 के किला नं0 21 में एवं अप्रार्थी सं0 2 रोहिताश के मु0नं0 40 के किला नं0 1 एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4 प्रियंका व सुमन के मु0नं0 28 के किला नं0 20 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास पास उतर से दक्षिण एक–एक बिस्वा यानि सवा आठ फुट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्डाधिकारी R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.28 12:02:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: